UPAU010000932004

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, औरैया।

सत्र परीक्षण वाद संख्या–152/2006

राज्य बनाम रमेश चन्द्र आदि।

मु०अ०सं०–87/2004

धारा–323/34, 324/34, 308/34, 504, 506 भा.दं.सं.

थाना–अजीतमल, जिला–औरैया।

दिनांक–01.05.2025

1. पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

2. उभयपक्षों द्वारा समझौता नामा कागज संख्या–79 ख दाखिल कर कथन किया गया है कि हम दोनों पक्षकारान उक्त अभियोग में वादी एवं चोटिल तथा अभियुक्तगण है और उक्त घटना दिनांक –06.05.2004 की है और इस घटना को लगभग 20 वर्ष हो गये और हम पक्षकारान एक दूसरे के पड़ोस में रह रहे हैं और हम लोगों के आपस में बोल चाल और भले बुरे में आना जाना प्रारम्भ हो गया है और समाज के चन्द भले व्यक्तियों के पड़ जाने से हम दोनों पक्षकारान में समझौता भी हो गया है। अब कोई निजा आपस में बाकी नहीं रही है। समझौता करने में ही दोनो पक्षों का हित है। अभियुक्तगण की ओर से वादी पक्ष पर एक मुकदमा थाना अजीतमल पर मु०अ०सं० –92/2004 पर अन्तर्गत धारा–452, 323, 427, 504, 506 भा.दं.सं. लिखाया गया था, जो अभी न्यायालय की प्रक्रिया में प्रचलित नहीं है। भविष्य में प्रक्रिया में प्रचलित होने पर उस मुकदमें में भी हम लोग समझौता के आधार पर मुकदमें की कार्यवाही समाप्त करा लेंगे। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त सत्र परीक्षण में हम पक्षकारन का समझौता स्वीकार कर मुकदमें की कार्यवाही समाप्त करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

3. उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरोध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आपत्ति कागज संख्या–81 ख इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि उपरोक्त प्रकरण की एफ.आई.आर. अशफाक खान एडवोकेट द्वारा लिखायी गयी है। वह इस घटना में घायल भी हुए हैं। इस प्रकरण में दिनांक–15.05.2004 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा दिनांक –21.11.2006 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया है तथा दिनांक–05.05.2007 को पी.डब्लू.–1 की मुख्य परीक्षा अंकित की गयी है तथा मुख्य परीक्षा के दौरान आरोप संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है। इसके बाद इतने लम्बे अन्तराल के बाद समझौता हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है। प्रकरण कम्पाउन्डेबिल नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र –79 ख निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र–79 ख निरस्त किये जाने की कृपा करें।

4. उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–320 की उपधारा (1) (2) (3) में अपराधों के शमन की धारायें उल्लेखित की गयी है तथा यह कथन किया गया है कि–सारणी के प्रथम दो स्तम्भों में विनिर्दिष्ट भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा के अधीन दण्डनीय अपराधों का शमन उस सारणी के तृतीय स्तम्भ में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 उपधारा (9) में यह वर्णित है कि– अपराध का शमन इस धारा के उपबन्धों के अनुसार ही किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

6. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–320 की उपधारा (1) (2) (3) में भा.दं.सं. की धारा–308 का उल्लेख नहीं किया गया है, जिस कारण धारा–308 भा.दं.सं. शमनीय योग्य धारा नहीं है। अतः इस न्यायालय को धारा–308 भा.दं.सं. के शमन का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि यह प्रकरण कम्पाउन्डेबिल नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र– 79 ख निरस्त किया जाना विधि सम्मत है।

यहां पर यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **Ramlal V. State of J&K 1999 Cr LJ 1342(SC)** में यह अवधारित किया गया है कि–

Digitally signed by Parul Jain
Date: 2025.05.01 13:37:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

"An offence which law declares to be non–compoundable, even with the permission of the Court cannot be compounded at all."

7. अतः उपरोक्त स्थापित विधि व्यवस्था एवं दं.प्र.सं. की धारा–320 के अनुपालन में समझौता नामा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण वाद संख्या –152/2006, मु०अ०सं०–87/2004, धारा–323/34, 324/34, 308/34, 504, 506 भा.दं.सं., थाना–अजीतमल, जिला–औरैया में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र–79 ख वास्ते समझौता निरस्त किया जाता है, क्योंकि धारा–308 भा.दं.सं. की धारा के शमन विधि में वर्णित नहीं है। पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनांक–02.06.2025 को पेश हो। साक्षी को सम्मन जारी हों।

(पारूल जैन)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं०–1, औरैया।
J.O. Code–2391